न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 112/2021

प्रार्थीनी

माली देवी पत्नी बाबूराम जाति जाट निवासी पाबू भाखरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. तेजाराम पुत्र कुभाराम उम्र 75 वर्ष जाति जाट निवासी चपा भाखरी करना तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
2. उदजी पुत्र लालजी उम्र 60 वर्ष
3. मोहनसिंह पुत्र चनणसिह उम्र 68 वर्ष जातियान राजपुत निवासी करना तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
4. दीपाराम पुत्र नुकलाराम उम्र 75 वर्ष
5. हनुमानराम पुत्र जैयाराम उम्र 80 वर्ष जातियान जाट निवासी करना तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
6. पाबूराम पुत्र अमराराम उम्र 65 वर्ष
7. मूलाराम पुत्र खरताराम उम्र 55 वर्ष जातियान जाट निवासी करना तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
8. पुरखाराम पुत्र सोनाराम उम्र 70 वर्ष
9. पनाराम पुत्र सोनाराम उम्र 65 वर्ष
10. राणाराम पुत्र सोनाराम उम्र 50 वर्ष जातियान जाट निवासी चपा भाखरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन विशनोई, अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.10.11 16:25:31 IST
Reason: Self Attested

आदेश

दिनांक 20.09.23023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीया की खातेदारी का खेत मौजा पाबू भाखरी पटवार क्षेत्र करना तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 320 रकबा 8–01

बीघा अवस्थित है। प्रार्थीनी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीया द्वारा खेत मौजा पाबू भाखरी पटवार क्षेत्र करना तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 320 रकबा 8–01 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्राथीर्नी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्राथीर्नी की खातेदारी का खेत मौजा पाबू भाखरी पटवार क्षेत्र करना तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 320 रकबा 8–01 बीघा भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढ़ो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थीया द्वारा मौजा पाबू भाखरी पटवार क्षेत्र करना तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 320 रकबा 8–01 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीनी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा पाबू भाखरी पटवार क्षेत्र करना तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 320 रकबा 8–01 बीघा भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2075 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीया विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थीनी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.10.11 16:25:31 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा,प्रार्थीया का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा पाबू भाखरी पटवार क्षेत्र करना तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 320 रकबा 8–01 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर

नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीया व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीनी मौके पर अदा करेगी। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20.09.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.10.11 16:25:31 IST
Reason: SelfAttested